प्रेस विज्ञप्ति

13.03.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय ने इस्टेवन डिसूजा और अन्य के खिलाफ धन शोधन की जांच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 6.27 करोड़ रुपये के कुल बाजार मूल्य वाली तीन अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है।

ईडी ने गोवा पुलिस द्वारा पोरवोरिम पुलिस स्टेशन और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओसी), गोवा में भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, प्रतिरूपण और जालसाजी से संबंधित दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

जांच में पता चला कि इस्टेवन डिसूजा, मोसेस फर्नांडीस और मोहम्मद सुहैल ने अन्य लोगों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रचते हुए, असली मालिकों का रूप धारण करके और फर्जी बिक्री विलेख, जाली पहचान पत्र और जाली पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके गोवा में कई अचल संपत्तियों पर धोखाधड़ी से कब्जा कर लिया। आरोपियों ने खरीदारों को बहकाया और इन अवैध रूप से अधिग्रहित संपत्तियों के संबंध में धोखाधड़ी से बिक्री विलेख और एग्रीमेंट निष्पादित करके उनसे धन भी वसूला।

इससे पहले, ईडी ने इस मामले में क्रमशः 11.82 करोड़ रुपये और 60.05 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अटैच किया था, जिन्हें आरोपियों ने धोखाधड़ी से अपने नाम और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर हासिल किया था। उक्त कुर्की को बाद में पीएमएलए के तहत माननीय न्याय निर्णायक प्राधिकरण द्वारा पुष्टि कर दी गई है।

इसके अलावा, ईडी ने उक्त अनुसूचित अपराधों से संबंधित धन शोधन के अपराध के लिए एस्टेवन डिसूजा और अन्य के खिलाफ गोवा की माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) में अभियोजन शिकायत दर्ज कराई है। माननीय न्यायालय ने अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया है और मामला फिलहाल विचाराधीन है।

ईडी की जांच में आगे पता चला कि आरोपियों ने जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर तीन अतिरिक्त अचल संपत्तियों का फर्जी पंजीकरण कराया था, और ऐसी संपत्तियां पीएमएलए, 2002 की धारा 2(1)(यू) के तहत अपराध की आय मानी जाती हैं। इन संपत्तियों का कुल बाजार मूल्य 6.27 करोड़ रुपये है और इन्हें पीएमएलए, 2002 की धारा 5(1) के तहत अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया गया है, क्योंकि ये अपराध की प्रत्यक्ष आय हैं।

वर्तमान कुर्की के साथ, इस मामले में कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग **78.14 करोड़ रुपये** है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।